

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुडा भवन मध्यप्रदेश

क्र. 9/नर्सिंग/सेल-1/2014/एफ.13/688

भोपाल,दिनांक 15/7/2014

आदेश

दिनांक 6.6.2013 एवं 26.6.14 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में परिभ्रमण में रखे गये कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु दिनांक 18.6.14 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रदेश में कार्यरत निम्नलिखित नर्सिंग सिस्टर/हाउसकीपर को मेट्रन के पद पर वेतनमान पुनरीक्षित वेतन बैंड पी.बी. 2 रूपयें 9300 - 34800 + ग्रेड पे 3200 में पदोन्नति कर उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक नवीन पदस्थापना में दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है।

उन्हें पदोन्नति उपरांत पदस्थापना स्थान पर दिनांक 30.7.2014 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा, नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् ही पदोन्नति प्रभावशील होगी।

इन पदोन्नत कर्मचारियों की पारस्परिक वरियता वर्तमान घयन सूची के अनुसार रहेगी, किन्तु समय - सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर वरियता पर विपरीत प्रभार पड़ेगा। यदि समयावधि में किसी कर्मचारी द्वारा पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया, तो पदोन्नति से एक वर्ष के लिये वंचित किया जावेगा, एवं पदोन्नति आदेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा।


स. क.	वरियता क.	कर्मचारी का नाम	वर्ग	वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	वर्तमान पदस्थापना स्थल	नवीन पदस्थापना
1	6	श्रीमति अजरा कुरैशी	अनारक्षित	18.2.97	जे.एस.आर. ईटारसी जिला होशंगाबाद	सी.एस. होशंगाबाद
2	10	श्रीमति नमिता तिवारी	अनारक्षित	28.2.97	सिविल अस्प. बडनगर जिला उज्जैन	जिला चिकि. उज्जैन
3	30	श्रीमति मनोरमा मिश्रा	अनारक्षित	18.6.99	सिविल अस्प. ग्वालियर	जिला चिकि. ग्वालियर
4	38	श्रीमति चंद्रकला चौहान	अनारक्षित	14.10.99	सिविल अस्प. गरोठ जिला मंदसौर	सिविल अस्प. मंदसौर
5	42	श्रीमती एजिलाबेध मसीह	अनारक्षित	15.10.99	जिला चिकि. कटनी	जिला चिकि. कटनी
6	1	श्रीमति लीला साध	अ.जा.	24.10.89	जिला चिकि. उज्जैन	जिला चिकि. उज्जैन

(1) प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा प्रकाशित दिनांक 11.06.2002 के तहत निर्धारित अनुसूचित जाति/जन जाति के लिये आरक्षण संबंधी निर्देशों का पालन किया गया है।

(2) पदोन्नति नर्सिंग सिस्टर को कार्यमुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संबंधित के विरुद्ध विभागीय जॉच/लोकायुक्त/न्यायालयीन/अनाधिकृत अनुपस्थिति/निलंबित इत्यादि कोई प्रकरण किसी भी स्तर पर लंबित हो तो उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार न कराते हुये इनकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजें। यह भी सुनिश्चित कर लें कि पदोन्नत हुये अनु.जाति/जनजाति कर्मचारियों की सेवापुस्तिका की प्रविष्टि से सत्यापन करने के पश्चात् ही पदोन्नति का लाभ दिया जायें।

(3) उपरोक्त सभी की ओर भेजकर लेख है कि पदोन्नति कर्मचारी को समयावधि में कार्यमुक्त करें साथ ही आपके अधीन कार्यभार ग्रहण करने वाले उम्मीदवारों को दर्शाये स्थान पर पदभार ग्रहण करावें। इसकी जानकारी उप संचालक नर्सिंग को दिनांक 5.8.2014 तक कार्यभार ग्रहण करने वाले/नहीं करने वाले कर्मचारियों की सूचना अनिवार्य रूप से समय सीमा में भेजें। पदोन्नति आदेश की पुष्टि विभागीय वेबसाईट www.health.mp.gov.in से करें।


स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित



(डॉ. बी.के. मिश्रा)


संयुक्त संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. 0/2


8-7-2014

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, मा0 मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. निज सचिव, मान. राज्य मंत्री जी मध्यप्रदेश शासन लोक स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग म.प्र.।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य मध्यप्रदेश।
5. अध्यक्ष, विभागीय पदोन्नति समिति संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्यें मध्यप्रदेश।
6. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवार्यें भोपाल/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर म.प्र.।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला होशंगाबाद/उज्जैन/ग्वालियर/देवास/मंदसौर/कटनी मध्यप्रदेश।
8. अधीक्षक/सिविल अस्प. चिकित्सालय इटारसी म.प्र.।
9. संबंधित की ओर भेजकर लेख है कि आप शीघ्र कार्यमुक्त होकर पदोन्नति पर दिनांक 10.7.2014 तक कार्यभार ग्रहण करें एवं उपस्थिति रिपोर्ट की एक प्रति उपसंचालक (नर्सिंग) को भेजें। यदि आपके द्वारा समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो आपसे कनिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति का अवसर दिया जावेगा। इस बावत् किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. श्री पी.सी. थामस प्रभारी एच.आई.एम.एस. स्थानीय कार्यालय की ओर भेजकर लेख है कि समस्त जानकारी बेवसाईट पर प्रकाशित करने का कष्ट करे।
11. आदेश नस्ति 2014



(डॉ. बी.के. मिश्रा)

संयुक्त संचालक(नर्सिंग)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्यें

मध्यप्रदेश

8-7-2014